पत्र संख्या–02/कय–08–01/2012 (खंड–4) – 492

निदेशक का कार्यालय

कय, भडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय

जल संसाधन विभाग, पटना

पटना, दिनांक– 22-11-17

<u>दिनांक–18.10.2017 से लागू अनुसूचित दर पुस्तिका का शुद्धि पत्र</u>

दिनांक 21.11.2017 को आहूत विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में अनुसूचित दर पुस्तिका के प्रस्तावना के अंतिम अनुच्छेद का अंश "अगर किसी मद का दर अनुसूचित दर पुस्तिका में दर्शाये गए दर से कम आता है तो कम दर व्यवहार में लाते हुये इसकी जानकारी विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति को अविलम्ब दी जाय ।"

उपर्युक्त के आलोक में समीक्षोपरांत समिति द्वारा उक्त निर्णय को निम्नवत् रूप से स्पष्ट की गयी है कि उक्त निर्णय अनुसूचित दर पुस्तिका में अंकित सामग्रियों के आईटम रेट पर लागू होगा। अनुसूचित दर पुस्तिका में वर्णित विभिन्न मदों के **finished** दरों पर उक्त निर्णय लागू नहीं होगा।यह स्पष्टीकरण **(clarification)** पूर्व के वर्षो में निर्गत अनुसूचित दर पुस्तिका में निहित उक्त बिन्दू पर भी भूतलक्षी प्रभाव से लागू माना जाएगा।

अन्य सभी शर्ते यथावत् रहेंगे।

अनुलग्नक– अनुसूचित दर निर्धारण समिति की कार्यवाही की प्रति।

22/11/2017

(सुजीत कुमार)

निदेशक

कय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय

जल संसाधन विभाग , बिहार, पटना